**संख्या-29/2021/1664/96-आयुष-1-2021-56/2021**

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

**आयुष अनुभाग-1** **लखनऊ; दिनांक 29 अप्रैल, 2021**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं आपके पत्र संख्या-11/लेखा बजट-1358/2021-22, दिनांक 06.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (यूनानी) हेतु आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि रूपये-13574.92 लाख (रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख बानबे हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये-12074.92 लाख (रूपये एक अरब बीस करोड़ चौहत्तर लाख बानबे हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन निदेशक, यूनानी सेवायें के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उपरोक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर न किया जाय।

(2) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/प्रचलित शासनादेशों स्टोर परचेज नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि प्राविधानित है, उन्हीं मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों व शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(5) अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि को व्यय/आवंटित किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण प्रदेश को आच्छादित करते हुए जनपदों से आवश्यकता प्राप्त कर पिछड़े तथा महत्वपूर्ण जनपदों को प्राथमिकता देते हुए कार्यों की नियमानुसार प्राथमिकता निर्धारित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

(6) उक्त विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि से विगत वर्षों की देनदारियों आदि का भुगतान किये जाने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के दसवीं तारीख तक शासन व वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) कार्यालय व्यय से क्रय की गयी सामग्री का माहवार अभिलेख शासन में प्रस्तुत किये जायेंगे और 06 माह में इसकी समीक्षा शासन द्वारा की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

(11) संबंधित अनुदान के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16194, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) बजट में प्राविधानित धनराशि एक साथ आहरित न की जाय। उक्त धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं किया जायेगा तथा वास्तविक व्यय का आंकलन कर तद्नुसार आवश्यक अपेक्षित धनराशि ही आहरित की जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त्।

भवदीय

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव

**संख्या-29/2021/1664(1)/96-आयुष-1-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**शासनादेश संख्या-29/2021/1664/96-आयुष-1-2021-56/2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक।**

| वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुदान संख्या-33 | | | |
|---|---|---|---|
| चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)<br>राजस्व लेखा | | | |
| | | | (धनराशि लाख रू0 में) |
| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक तथा मानक मद | वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि | शासन द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 2021-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| राजस्व लेखा | | | |
| 1 | 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 103 यूनानी 03 निदेशन तथा प्रशासन 01 निदेशालय और निरीक्षणालय, | | |
| | 01-वेतन | 360.50 | 360.50 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 108.15 | 108.15 |
| | 04-यात्रा व्यय | 3.50 | 3.50 |
| | 05-स्थानान्तरण व्यय | 2.00 | 2.00 |
| | 06-अन्य भत्ते | 3.00 | 3.00 |
| | 07-मानदेय | 0.25 | 0.25 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 13.00 | 13.00 |
| | 09-विद्युत देय | 8.00 | 8.00 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.12 | 0.12 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 6.00 | 6.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 14.00 | 14.00 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 2.00 | 2.00 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 5.00 | 5.00 |
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 15.00 | 15.00 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 16.00 | 16.00 |
| | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.30 | 0.30 |
| | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 1.00 | 1.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 3.00 | 3.00 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 12.00 | 12.00 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 8.00 | 8.00 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 15.00 | 15.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.90 | 0.90 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 0.01 | 0.01 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 40.00 | 40.00 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 33.00 | 33.00 |
| | 59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज | 0.01 | 0.01 |
| | योग 0301 | **671.74** | **671.74** |
| | योग 03 | **671.74** | **671.74** |
| **2** | **04 विभागीय औषधि निर्माण 01 राज्य आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला** | | |
| | 01-वेतन | 74.26 | 74.26 |
| | 02-मजदूरी | 1.00 | 1.00 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 22.28 | 22.28 |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.25 | 0.25 |
| | 05-स्थानान्तरण व्यय | 0.30 | 0.30 |
| | 06-अन्य भत्ते | 0.25 | 0.25 |
| | 07-मानदेय | 0.10 | 0.10 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 1.00 | 1.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.00 | 2.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 43-सामग्री और सम्पूर्ति | 120.00 | 120.00 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.25 | 0.25 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.25 | 1.25 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 0.50 | 0.50 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 2.00 | 2.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.10 | 0.10 |
| | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 0.01 | 0.01 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 7.00 | 7.00 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 15.60 | 15.60 |
| | 59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज | 0.01 | 0.01 |
| | योग 0401 | **250.16** | **250.16** |
| | योग 0401 | **250.16** | **250.16** |
| **3** | **05 अस्पताल और रूजालय 02 शहरी क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना** | | |
| | 01-वेतन | 720.80 | 720.80 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 216.24 | 216.24 |
| | 04-यात्रा व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 05-स्थानान्तरण व्यय | 1.00 | 1.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 06-अन्य भत्ते | 1.00 | 1.00 |
| | 07-मानदेय | 0.10 | 0.10 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 4.25 | 4.25 |
| | 09-विद्युत देय | 2.00 | 2.00 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.60 | 0.60 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 2.50 | 2.50 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 7.00 | 7.00 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 0.10 | 0.10 |
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 1.00 | 1.00 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 12.00 | 12.00 |
| | 29-अनुरक्षण | 7.00 | 7.00 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 65.00 | 65.00 |
| | 40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक साज-सज्जा | 5.00 | 5.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 1.50 | 1.50 |
| | 43-सामग्री और सम्पूर्ति | 20.00 | 20.00 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.00 | 1.00 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 0.20 | 0.20 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 4.00 | 4.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.50 | 0.50 |
| | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 0.01 | 0.01 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 40.00 | 40.00 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 20.00 | 20.00 |
| | 59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज | 0.01 | 0.01 |
| | योग 0502 | **1134.81** | **1134.81** |
| | योग 05 | **1134.81** | **1134.81** |
| **4** | **06- अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान यूनानी** | | |
| | **01-तिब्बिया अकादमी** | | |
| | 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 0.01 | 0.01 |
| | **02-यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालयों को अनुदान** | | |
| | 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 0.01 | 0.01 |
| | योग 06 | **0.02** | **0.02** |
| | योग 103 | **2056.73** | **2056.73** |
| | योग 02 | **2056.73** | **2056.73** |
| **5** | **04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति 103-यूनानी 03-अस्पताल और रूजालय यूनानी चिकित्सालय व औषधालय** | | |
| | 01-वेतन | 4711.80 | 4711.80 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 1413.54 | 1413.54 |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 04-यात्रा व्यय | 2.00 | 2.00 |
| | 05-स्थानान्तरण व्यय | 1.50 | 1.50 |
| | 06-अन्य भत्ते | 10.00 | 10.00 |
| | 07-मानदेय | 0.01 | 0.01 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 17.00 | 17.00 |
| | 09-विद्युत देय | 6.50 | 6.50 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.25 | 0.25 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 8.00 | 8.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 21.00 | 21.00 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 25.00 | 25.00 |
| | 29-अनुरक्षण | 6.00 | 6.00 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 90.00 | 90.00 |
| | 40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक साज-सज्जा | 8.00 | 8.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 5.00 | 5.00 |
| | 43-सामग्री और सम्पूर्ति | 45.00 | 45.00 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.60 | 0.60 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 35.00 | 35.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.60 | 0.60 |
| | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 0.01 | 0.01 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 200.00 | 200.00 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 120.00 | 120.00 |
| | 59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज | 0.01 | 0.01 |
| | **योग 0301** | **6726.82** | **6726.82** |
| | **योग 03** | **6726.82** | **6726.82** |
| | **योग 103** | **6726.82** | **6726.82** |
| | **योग 04** | **6726.82** | **6726.82** |
| **6** | **103 यूनानी-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 103 यूनानी 01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं** | | |
| | **0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के 60/रा 40 के+रा)** | | |
| | **42-अन्य व्यय** | **1500.00** | **0.00** |
| *7* | **03-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल** | | |
| | **00-** | | |
| | 01-वेतन | 1905.50 | 1905.50 |
| | 02-मजदूरी | 5.00 | 5.00 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 571.65 | 571.65 |
| | 04-यात्रा व्यय | 2.00 | 2.00 |
| | 05-स्थानान्तरण व्यय | 1.50 | 1.50 |
| | 06-अन्य भत्ते | 5.00 | 5.00 |
| | 07-मानदेय | 0.30 | 0.30 |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 08-कार्यालय व्यय | 13.00 | 13.00 |
| | 09-विद्युत देय | 72.00 | 72.00 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 15.00 | 15.00 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 7.00 | 7.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 80.05 | 80.05 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3.00 | 3.00 |
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेेष सेवाओं के लिये भुगतान | 40.00 | 40.00 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 33.00 | 33.00 |
| | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.20 | 0.20 |
| | 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 60.00 | 60.00 |
| | 29-अनुरक्षण | 31.00 | 31.00 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 95.00 | 95.00 |
| | 40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा | 10.00 | 10.00 |
| | 41-भोजन व्यय | 6.50 | 6.50 |
| | 42-अन्य व्यय | 20.00 | 20.00 |
| | 43-सामग्री और सम्पूर्ति | 28.00 | 28.00 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 15.00 | 15.00 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 | 5.00 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 35.00 | 35.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 1.00 | 1.00 |
| | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 0.01 | 0.01 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 180.00 | 180.00 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 20.00 | 20.00 |
| | 59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज | 0.01 | 0.01 |
| | **योग 03** | **3262.72** | **3262.72** |
| **8** | **04 राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज लखनऊ तथा प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र** | | |
| | **00** | | |
| | 01-वेतन | 0.01 | 0.01 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 06-अन्य भत्ते | 0.01 | 0.01 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 2.80 | 2.80 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 1.00 | 1.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.50 | 2.50 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 8.00 | 8.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 11.31 | 11.31 |
| | 43-सामग्री और सम्पूर्ति | 3.00 | 3.00 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 55-मकान किराया भत्ता | 0.01 | 0.01 |
| | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 0.01 | 0.01 |
| | योग 04 | **28.65** | **28.65** |
| | योग 103 | **4791.37** | **3291.37** |
| | योग 05 | **4791.37** | **3291.37** |
| | सम्पूर्ण योग 2210 | **13574.92** | **12074.92** |

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।